जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 05-03-2021**

आज दिनांक 05.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना महुली पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह **के निकट पर्यवेक्षण** व **क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीष भदौरिया** के मार्गदर्शन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थानाध्यक्ष महुली श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0अ0सं0 61 / 2021 धारा 41 / 411 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि में वाँछित अभियुक्त नाम पता अनुज यादव पुत्र पारस यादव निवासी बुढ़ियाबारी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01- अनुज यादव पुत्र पारस यादव निवासी बुढ़ियाबारी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

विवरण – दिनांक 24.02.2021 को समय करीब 8.30 बजे उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के साथ अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लखनापार तिराहे पर मौजूद थे कि मैनसिंर की तरफ से एक व्यक्ति एचएफ डीलक्स (रजि0नं0- यूपी 32 बीएफ 4345 कूट रचित) लेकर आ रहा था जिसे रोकने का इशारा किया गया तो भागने लगा जिसे किसी तरह घेर कर पकड़ा गया था।

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ था कि अभियुक्त अपने साथी अनुज यादव पुत्र पारस यादव निवासी बुढियाबारी डोहरिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के साथ सहजनवा बाजार जनपद गोरखपुर से उक्त गाड़ी एचएफ डीलक्स (रजि0 नम्बर यूपी 58 जे0 6628 - असली रजिस्ट्रेशन नं0) को चुराया था। जिसमें आज दिनांक 05.03.2021 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, का0 शिव चौरसिया।

शादी का झांसा देकर 03 वर्ष से दुष्कर्म करने के मामलें में वाँछित 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 76/21 धारा 376/315/504/506 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1- शैलेश 2- उमेश पुत्रगण ब्रह्मदेव राजभर निवासीगण सिरसी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त शैलेश द्वारा 03 वर्ष पूर्व से दिनांक 08.02.2021 तक वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना कारित करता रहा तथा इसी बीच 02 बार गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवाया गया। दिनांक 08.02.2021 को वादिनी के साथ शादी करने से इंकार कर दिया गया तथा अभियुक्त शैलेश के भाई उमेश द्वारा वादिनी को भद्दी – भद्दी गालिया देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके उपरान्त वादिनी द्वारा दिनांक 22.02.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 05.023.2021 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त दोनों वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रविन्द्र कुमार गौतम, उ0नि0 श्री मनोज कुमार पटेल, का0 प्रवीन तिवारी, का0 राजन खरवार।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 12 वारण्टी गिरफ्तार

थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 04 वारण्टी नाम पता 1-सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरन चौधरी निवासी कटाई 2- झिनक पुत्र विश्वनाथ 3- श्रीराम पुत्र विश्वनाथ 4- शिवनरायन पुत्र विश्वनाथ निवासीगण मोहनलालपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, उ0नि0 श्री बलराम पाण्डेय, हे0का0 राजीव यादव, हे0का0 श्याम गुप्ता ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1-महेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी समदहा 2- बुद्धिलाल पुत्र रामप्रसाद निवासी झुंगिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ तिवारी, हे0का0 रामेश्वर भारती, का0 विजय कुशवाहा, का0 धनश्याम तिवारी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3314 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3314 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत कौवाठोर से इवेन्ट संख्या 0099 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 0 8 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –का0 प्रकाश सिंह, हो0चा0 रामकेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 57 वाहनो से 41000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 57 वाहनो से 41000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।